प्रेस नोट दिनांकः- 24.02.2021

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन मे आज दिनांक-24.02.2021 को जनपद में अपराधियो के विरूद्व व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

➢थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा पर्चा सटटा की खाईबाडी करने वाला अभियुक्त मौहम्मद राशिद पुत्र मौहम्मद यामीन निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को मय पर्चा सटटा व 420 रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना बछरायूं पुलिस द्वारा अभियुक्त लेखराम पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम ढयोटी थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध शराब के गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना मंडी धनौरा पुलिस आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त जगवीर पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम रम्पुरा खादर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 01 तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा पर्चा सटटा की खाईबाडी करने वाला अभियुक्त प्रहलाद पुत्र गोधू सिंह निवासी मौ0 सुभाषनगर कस्बा व थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय पर्चा सटटा व 280 रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना रजबपुर पुलिस द्वारा छेडखानी करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. सत्यम पुत्र ओमप्रकाश व 2. मोनी पुत्र विजय निवासीगण ग्राम महेशरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अभियुक्त कमल सिंह पुत्र स्व0 दीवान सिंह निवासी ग्राम सुमाठेर थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध शराब के गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र कृपाल निवासी ग्राम व थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध शराब के गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

➢ जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना डिडौली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।